भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2693

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महाराष्ट्र के प्रकृति समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल

†2693. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों जैसे प्रकृति संपन्न क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों में प्रमुख प्राकृतिक और विरासत परिसंपत्तियों के विकास और संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थायी पर्यटन सुनिश्चित करने और स्थानीय समुदायों (होमस्टे, गाइड, शिल्प/भोजन) को वैकल्पिक आजीविका/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार महाराष्ट्र में, विशेषकर रायगढ़ और रत्नागिरी क्षेत्रों में पर्यटन के लिए कोई स्थल विकसित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): देश में पर्यटन स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं, जैसे- स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0), चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत एक पहल, तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) आदि के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को योजना दिशानिर्देशों और सरकारी निर्देशों के अनुरूप उनसे परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के अध्यधीन देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास और पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन गंतव्यों पर पर्यटन सुविधा को बेहतर बनाने वाले विभिन्न घटकों, जिसमें पर्यटन संबंधी मुख्य उत्पादों, पर्यटन गतिविधियों, सुरक्षा, स्वच्छता, कनेक्टिविटी, पार्किंग,

सामान्य स्थल विकास, सॉफ्ट पहल आदि से संबंधित घटक शामिल हैं, को स्वीकृति देने के लिए परियोजना की आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाता है। योजना पर विचार करते समय पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता सहित स्थिरता के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय स्थायी पर्यटन कार्यनीति' जारी की है, जिसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना है और 'राष्ट्रीय पारिस्थितिकी-पर्यटन कार्यनीति' का लक्ष्य भारत को पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

मंत्रालय ने मिशन लाइफ़ के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए 'ट्रैवल फॉर लाइफ़ (टीएफएल)' की भी परिकल्पना की है, ताकि सतत पर्यटन के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और पर्यटकों तथा पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक स्थायी, जिम्मेदार और लचीला पर्यटन क्षेत्र विकसित करने की दिशा में पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना है।

महाराष्ट्र राज्य में स्वदेश दर्शन, एसडी 2.0, सीबीडीडी और प्रशाद योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

भारत सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' पहल के तहत महाराष्ट्र में 46.91 करोड़ रुपये की 'आईएनएस-गुलदार अंडरवाटर म्यूजियम, कृत्रिम चट्टान और सिंधुदुर्ग में पनडुब्बी पर्यटन' और 99.14 करोड़ रुपये की 'नासिक में राम-काल पथ का विकास' नामक परियोजनाओं को मंजूरी दी है और ये परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के चरण में हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) योजना लागू की है। पर्यटन मंत्रालय ने सीबीएसपी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान महाराष्ट्र राज्य के 7554 व्यक्तियों सहित देश में 135595 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के तहत स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना के रूप में 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास' शुरू किया है।

इस योजना में जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करने और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रु. तक, प्रत्येक परिवार के लिए दो नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये तक और प्रत्येक परिवार के लिए मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके जनजातीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए होमस्टे का विकास करना शामिल है।

यह योजना पर्यटकों और मूल समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाकर देश भर के जनजातीय गांवों में समुदाय-आधारित उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जिससे आगंतुकों को वास्तविक जनजातीय ग्रामीण अनुभव प्रदान किया जा सके और स्थानीय आबादी के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें स्थानीय समुदायों के कौशल विकास, सतत और उत्तरदायी पर्यटन संबंधी कार्य-पद्धतियों को बढ़ावा देने और जनजातीय होमस्टे के लिए विपणन सहायता सहित क्षमता निर्माण संबंधी पहल की भी परिकल्पना की गई है।

*****

अनुबंध

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा महाराष्ट्र के प्रकृति समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल के संबंध में दिनांक 09.03.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2693 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में **विवरण**

महाराष्ट्र राज्य में स्वदेश दर्शन, एसडी 2.0, सीबीडीडी और प्रशाद योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

योजना	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
स्वदेश दर्शन	सिंधुदुर्ग तटीय परिपथ - सागरेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), मितभव का विकास (तटीय परिपथ)	2015-16	19.06
	वाकी - अदासा - धापेवाड़ा - पारदसिंघा - तेलनखंडी - गिराड का विकास (आध्यात्मिक परिपथ)	2018-19	45.47
एसडी 2.0	शिवसृष्टि थीम पार्क	2024-25	76.22
सीबीडीडी	अहमदनगर किले का विकास	2024-25	25.00
प्रशाद	त्र्यंबकेश्वर, नासिक का विकास	2017-18	45.41

*****